

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त 2012—श्रावण 30, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. 5763-265-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३२ सन् २०१२

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. धारा १ का संशोधन.
४. धारा २ का संशोधन.
५. धारा ३ का संशोधन.
६. धारा ४६ का संशोधन.
७. अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३२ सन् २०१२

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक १६ अगस्त, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २१ अगस्त, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.
- (२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- प्रोद्धारण का संशोधन. २. मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, प्रोद्धारण में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.
- धारा १ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १ में, उपधारा (१) में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.
- धारा २ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (न) में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.
- धारा ३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.
- धारा ४६ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—
- (एक) उपधारा (४) में, शब्द "मध्यप्रदेश", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (६) में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.
- अनुसूची का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की अनुसूची में, शीर्षक में, शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर शब्द "नानाजी देशमुख" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. 5764-265-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 32 of 2012

THE MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2012

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of Section 1.
4. Amendment of Section 2.
5. Amendment of Section 3.
6. Amendment of Section 46.
7. Amendment of Schedule.

MADHYA PRADESH ACT

No. 32 OF 2012

THE MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st August, 2012.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012. | Short title and commencement. |
| | |
| (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette. | |
| 2. In the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009) (hereinafter referred to as the principal Act), in the citation, for the words "The Madhya Pradesh", the words "The Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | Amendment of citation. |
| 3. In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "The Madhya Pradesh", the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | Amendment of Section 1. |
| 4. In Section 2 of the principal Act, in clause (t), for the words "the Madhya Pradesh", the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | Amendment of Section 2. |
| 5. In Section 3 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "the Madhya Pradesh", the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | Amendment of Section 3. |
| 6. In Section 46 of the principal Act,— | Amendment of Section 46. |
| (i) in sub-section (4), for the words "the Madhya Pradesh" wherever they occur, the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted; | |
| (ii) in sub-section (6), for the words "Madhya Pradesh", the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | |
| 7. In Schedule to the principal Act, in the heading, for the words "the Madhya Pradesh", the words "the Nanaji Deshmukh" shall be substituted. | Amendment of Schedule. |